मुकदमा नम्बर ... अहकाम ... हुक्म को जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गडराराड़ जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार –।

राजस्व आवेदन सं. 81/2025

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. काम्भू उर्फ कामु पुत्र सुमार खां, जाति–मुसलमान, नि0 मीनाणी, तह0 गडरारोड़		1. राजस्थान तहसीलदार गडरारोड़। 2. रहमान खान पुत्र अकबर खान 3. सरीफा पत्नी रहमान खान 4. गुलाम खान पुत्र अली खान 5. अमीनत पत्नी गुलाम खान 6. रहमतुला खान पुत्र अली खान 7. एलमा पत्नी रहमतुला खान 8. खानु खान पुत्र अकबर खान 9. माहली पत्नी खानु खान 10. जिमियत पत्नी फरीद खान 11. फरीद खान पुत्र अली खान जाति–मुसलमान,. नि0 मीनाणी, तह0 गडरारोड़

उपस्थित :– 1. श्री ईश्वरसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. राज पेरोकार तहसीलदार प्रतिवादी संख्या 1

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर. एक्ट

–: आदेशः–

दिनांक : –8/1/2026

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा– मीनाणी, पटवार मण्डल– जैसिन्धर स्टेशन तह0 गडरारोड़ जिला बाडमेर के खेत खसरा नम्बर 344 रकबा 25.8027 हैक्टैयर की आयी हुई है। जिसमें प्रार्थी वक्त सेटलमेट से मौके पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। विप्रार्थी संख्या 2 से 11 की भूमि प्रार्थी की भूमि के पडौस में खसरा नम्बर क्रमशः 1082/344, 1079/344, 1081/344, 1080/344, 1083/344 की आयी हुई है, जो मूल खसरा नम्बर 344/1832 का भाग ही था और उक्त खसरा पूर्व में सरकारी खातें मे दर्ज था। उक्त भूमि विप्रार्थी संख्या 2 से 11 को दिनांक 24.01.2023 को खसरा नम्बर 344/1832 मे से आवंटित हुई है और आवंटन आदेश कें सलग्न सनद नक्शा कमांक राजस्व/नियमन/मीनाणी/2023/01 से 05 दिनांक 24.01.2023 में दर्शित नजरी नक्शो में भी विप्रार्थीगण के खसरों की तरमीम खसरा नम्बर 344/1832 में दर्शायी हुई है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खसरा नम्बर राजस्व रेकर्ड में पृथक–पृथक दर्ज है प्रार्थी की भूमि में विप्रार्थीगण संख्या 2 से 11 का कोई हक हिस्सा नहीं है और न ही मौके पर विप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कब्जा काश्त है। राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थी के कब्जा काश्त वाली भूमि की तरमीम बदल कर गलत रूप से तरमीम कर दी जिससे वर्तमान में ... मौके पर कब्जे काश्त व वर्तमान राजस्व रेकर्ड की तरमीम में भारी भिन्नता है। जिसे दुरस्त कराने की प्रार्थी विधिक अधिकारी है। इसलिए तरमीम दुरस्ती का आवेदन पेश किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 10:32:49 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। विप्रार्थी संख्या 01 से 11 के नोटिस जरिये रजिस्टड डाक से प्राप्त के बावजूद अनु0। अतः विप्रार्थी सख्या 02 से 11 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़ (बाड़मेर)

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। आवेदन के संलग्न **परिशिष्ठ–ब** अनुसार उभय पक्ष मौके पर काबिज है एवं इसी अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने पर उभय पक्ष सहमत भी है। मौके पर कब्जा काश्त एवं नक्शा ट्रेस में विद्यमान वर्तमान तरमीम एक दुसरे के विपरीत है। अतः मौके पर कब्जा काश्त एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम में एकरूपता बनाये रखने के लिए आवेदन के संलग्न **परिशिष्ठ–ब** अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा–मीनांणी, पटवार मण्डल–जैसिन्धर स्टेशन तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 344 रकबा 25.8027 हैक्टैयर एवं विप्रार्थी संख्या 2 से 11 के खसरा नम्बर क्रमशः 1082/344, 1079/344, 1081/344, 1080/344, 1083/344 की लट्ठा ट्रेस मे की गई तरमीम व ऑनलाईन नक्शा में कि हुई तरमीम को निरस्त करते हुए आवेदन के संलग्न **परिशिष्ट–ब** अनुसार नक्शा ट्रेस व ऑनलाईन नक्शे में तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन नक्शा में दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। आवेदन के संलग्न नक्शा **परिशिष्ट ब** इस आदेश का अंभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़ (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 08.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़ (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 10:32:49 IST
Reason: SelfAttested